शहीद चन्द्रशेखर आजाद को सदैव किया जाएगा याद

अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर सीएम ने अर्पित किये श्रद्धासुमन

भोपाल,27 फरवरी. अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की 95वीं पुण्य तिथि पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को उनकी जन्मस्थली आलीराजपुर जिले में चंद्रशेखर आज़ाद नगर स्थित ऐतिहासिक आज़ाद कुटिया पहुँचे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्र के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया. अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान, सांसद अनीता चौहान, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाडे, आईजी अनुराग, कलेक्टर नीतू माथुर, पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे.

आज़ाद कुटिया पहुँचकर अमर शहीद की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

मुख्यमंत्री ने आजाद कुटिया में क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया. उन्होंने आज़ाद कुटिया परिसर में ही स्थापित संग्रहालय का भी अवलोकन किया, जहां उनके जीवन, संघर्ष और क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज, चित्र और स्मृति चिह्न संजोए गए हैं. मुख्यमंत्री ने अमर शहीद आज़ाद की शहादत पर स्मरण कर कहा कि भारत के सभी क्रांतिकारी नायकों का स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान रहा है. आज़ाद जैसे वीर क्रांतिकारी ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद अपने अदम्य साहस और त्याग से तत्कालीन समय में स्वतंत्रता की अलख को रौशन रखा.

> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आदिवासी अंचलों के नायकों के संघर्ष को भी याद किया और कहा कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कर स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय नायक शहीद छीतू किराड़ के बलिदान को भी नमन करते हुए उनके योगदान को स्मरण किया. आलीराजपुर जिले में 23 जुलाई 1906 को जन्मे चंद्रशेखर आज़ाद का प्रारंभिक जीवन तत्कालीन भाबरा वर्तमान चन्द्रशेखर आजाद नगर की पावन भूमि पर बीता. बचपन में उन्होंने भील बालकों के साथ रहकर धनुष-बाण चलाना और निशानेबाजी की शिक्षा प्राप्त की.

सोम डिस्टलरीज मामले की सुनवाई से दूसरे जज भी अलग

जबलपुर,27 फरवरी. मप्र हाईकोर्ट में सोम डिस्टलरीज की याचिका पर सुनवाई निर्धारित थी. जस्टिस संदीप एन भट्ट की एकलपीठ ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया.

जस्टिस भट्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि मामले से जुड़ा केस किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करें. इससे पहले जस्टिस विशाल मिश्रा ने भी मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. गौरतलब है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शराब कंपनी सोम डिस्टलरीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है. जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. तत्कालीन आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने सोम डिस्टलरीज के सभी लाइसेंस निलंबित कर दिए थे. करीब 20 दिन पहले रायसेन जिले में स्थित सोम डिस्टलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड और मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रालि का लाइसेंस आबकारी आयुक्त ने सस्पेंड कर दिया है. तत्कालीन आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार कंपनियों के संचालक, प्रतिनिधि, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अपर सत्र न्यायालय देपालपुर जिला इंदौर के एक प्रकरण में पारित निर्णय के आधार पर कार्रवाई की गई थी.

सड़क की मार से टूट रहे रिश्ते : सिंगरौली के सुहिरा-अमिलिया में बेटियों की शादियां बनी चुनौती

- दो करोड़ की स्वीकृत सड़क दूसरी जगह बनी, गांव तक एंबुलेंस नहीं पहुंचती, जांच के आदेश

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 27 फरवरी। जिले की सुहिरा अमिलिया ग्राम पंचायत आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। यहां के गोदरी खोली मोहल्ले में सड़क न होने का खामियाजा अब सीधे गांव की बेटियों को भुगतना पड़ रहा है।

खराब रास्ते, कीचड़ और दलदल जैसी स्थिति के कारण अब तक कई युवतियों के विवाह संबंध टूट चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब रिश्तेदार गांव की हालत देखते हैं तो शादी से इंकार कर देते हैं, जिससे पूरे इलाके की बदनामी हो रही है। ग्रामीण लहुरमन ने बताया कि कई बार बारात आने से ठीक पहले लोग रास्ते की हालत देखकर लौट जाते हैं। हमारी बेटियों के लिए रिश्ता तय होता है, लेकिन जैसे ही लोग गांव का रास्ता देखते हैं, वे पीछे हट जाते हैं। इससे परिवारों को मानसिक और सामाजिक अपमान झेलना पड़ता है, उन्होंने दुख व्यक्त किया। गांव में सड़क न होने से लोगों का सामान्य जीवन भी प्रभावित हो रहा है। बच्चों का स्कूल जाना, बुजुर्गों का अस्पताल पहुंचना और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लाना तक मुश्किल हो गया है। वहीं ग्रामीण कलावती ने बताया कि बारिश के मौसम में हालात और भयावह हो जाते हैं। कीचड़ और गहरे गड्ढों की वजह से एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय खाट पर लिटाकर कई सौ मीटर तक मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। कई बार समय पर इलाज न मिलने से जान का खतरा भी बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते वर्षों में ऐसी परिस्थितियों में कई मरीजों की हालत बिगड़ चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने अब तक स्थायी समाधान नहीं किया।

दो करोड़ का बजट, पर सड़क कहीं और

ग्रामीणों के अनुसार गोदरी खोली मोहल्ले में करीब 3.50 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए लगभग दो करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। आरोप है कि ठेकेदार विपिन सिंह ने तय स्थान पर सड़क न बनाकर पंचायत के दूसरे हिस्से में निर्माण करा दिया। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उन्हें टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर सड़क बनाने की कोशिश में विभाग ने ठेकेदार की जेसीबी मशीन भी जप्त की थी। इसके बावजूद अब तक मोहल्ले में सड़क नहीं बनी। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में भारी अनियमितता हुई है और जिम्मेदार अधिकारी भी आंख मूंदे बैठे रहे। लोगों का कहना है कि अगर सही जगह पर सड़क बनती तो आज बेटियों की शादियां टूटने की नौबत नहीं आती और मरीजों को खाट पर ढोना नहीं पड़ता।

जांच के बाद होगी कार्रवाई

पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री एसबी सिंह कर्चुली ने बताया कि सड़क निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त हुई है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि जांच में ठेकेदार की गलती पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार सड़क निर्माण कराया जाएगा। फिलहाल गोदरी खोली मोहल्ले के ग्रामीण प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि जल्द सड़क चाहिए, ताकि बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके और बीमार लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। गांव के लोगों को उम्मीद है कि इस बार जांच केवल कागजों तक सीमित न रहकर धरातल पर बदलाव लाएगी।

प्रधान जिला न्यायाधीश ने किया जिला जेल का निरीक्षण

सीधी 27 फरवरी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयाग लाल दिनकर, श्री यतीन्द्र कुमार गुरू विशेष न्यायाधीश, श्री मुकेश कुमार शिवहरे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अरविंद श्रीवास्तव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी, राकेश शुक्ला अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास, श्री सोनू जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी सीधी द्वारा जिला जेल सीधी का निरीक्षण 27 फरवरी को किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल के अंदर जाति आधारित और समान भेदभाव प्रथाओं की जांच की। इस समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रयाग लाल दिनकर, यतीन्द्र कुमार गुरू विशेष न्यायाधीश, मुकेश कुमार शिवहरे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अरविंद श्रीवास्तव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी, राकेश शुक्ला अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास, श्री सोनू जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी सीधी जेल अधीक्षक रविशंकर सिंह, उप जेल अधीक्षक कृष्ण कुमार तिवारी उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर परिषद कोठी जिला सतना म0प्र0

Office, Nagar Parishad Kothi, Dist. Satna (M.P.)

addres ward n.5 jhali road kothi DIST SATNA (M.P.) 485666, TEL.07671 272232 EMAIL :- cmokothi @mpurban.gov.in

क्रमांक /142/न0प0/ई-टेण्डर/2026/ कोठी, दिनांक 25/02/2026

(प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना)

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित वसूली ठेका वर्ष 2026-27 (01 अप्रेल 2026 से 31 मार्च 2027) हेतु ऑन लाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक दिनांक	कार्य का नाम	शासकीय न्यूनतम ठेका राशि	अमानत राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य की समयावधि	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2026_UAD_485179_1 25-02-2026	बस स्टैण्ड पार्किंग शुल्क वसूली	735000.00	20000.00	2000.00	01 अप्रेल 2026 से 31 मार्च 2027	19.03.2026
2	2026_UAD_485228_1	बाजार बैठकी शुल्क वसूली	700000.00	20000.00	2000.00	---"---	19.03.2026

नोट :- 1. ठेका राशि में जीएसटी राशि 18 प्रतिशत पृथक से जमा करना होगा। 2. ठेकेदार को आधार कार्ड, पेनकार्ड, ई-मेल एड्रेस, शपथ पत्र एवं नगर परिषद का अद्धेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 3. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद कोठी, जिला सतना (म.प्र.)

बाइक व बोलेरो में भिड़ंत, दो घायल, घायलों का पैर टूटा

सिंगरौली 27 फरवरी। कोतवाली बैढ़न अंतर्गत कचनी मोड में आज दिन शुक्रवार कि शाम तकरीबन 7:30 बजे बाइक और बोलेरो की आमने-सामने भिड़ंत हो जाने से बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। घायलों को उपकार के लिए एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और बोलेरो को थाने लेकर आए। मिली जानकारी के अनुसार बाइक में सवार सनी साकेत पिता सूरज साकेत उम्र 22 वर्ष और नीरज साकेत पिता सुरेश साकेत उम्र 24 वर्ष दोनों निवासी तैलाई मोड़ बोलेरो वाहन से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बोलेरो चालक को घेर लिया। घटना की सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर कोतवाली पुलिस बोलेरो को थाने लेकर आई है। वही दोनों घायलों को उपचार के लिए एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

मोरवा में मुआवजे के लिए भटकती रही विस्थापित महिला

- संवेदनहीन अधिकारी ने सिक्योरिटी बुलाकर हटाया

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 27 फरवरी। जिले के मोरवा क्षेत्र में एक विस्थापित महिला को अपने हक के मुआवजे की राशि के लिए पिछले दो महीनों से दर-दर भटकना पड़ रहा है। पीड़िता का आरोप है कि एनसीएल के मुख्यालय में लगातार चक्कर लगाने के बावजूद अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला।

उल्टा, जब उन्होंने अधिकारियों से अपनी समस्या रखी तो कार्यालय में पदस्त अधिकारी ने सिक्योरिटी बुलाकर उन्हें परिसर से बाहर करवा दिया। पीड़ित महिला के अनुसार भूमि अधिग्रहण के एवज में मिलने वाली मुआवजा राशि अब तक लंबित है। वे बीते दो माह से लगातार एनसीएल मुख्यालय पहुंच रही हैं, लेकिन कभी फाइल अधूरी होने की बात कही जाती है तो कभी संबंधित अधिकारी के उपलब्ध न होने का हवाला देकर लौटा दिया जाता है। महिला ने बताया कि उनकी बेटी की शादी नजदीक है और आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है। इसी को लेकर परसों वे अपने परिजनों के साथ मुख्यालय पहुंचीं और अधिकारियों से मानवीय आधार पर भुगतान की गुहार लगाई।

आरोप है कि उनकी बात सुनने के बजाय प्रबंधन ने कार्यालय की सिक्योरिटी बुला ली, जिसके बाद उन्हें परिसर से बाहर कर दिया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में नाराजगी का माहौल है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि विस्थापित परिवार पहले ही अपनी जमीन और आजीविका खो चुका है, ऐसे में यदि अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने पर भी उन्हें इस तरह अपमानित किया जाए, तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में एनसीएल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर शीघ्र मुआवजा भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है।

सिंगरौली में एनसीएल क्वार्टर में महिला की संदिग्ध मौत

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 27 फरवरी। नवानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनसीएल निगाही कॉलोनी के एमक्यू-433 क्वार्टर में आज दिन शुक्रवार की सुबह एक महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

मृतका की पहचान फूलमती बसौर निवासी दसौती के रूप में हुई है। घटना को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा किया, वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार उक्त क्वार्टर आंध्रप्रदेश निवासी ठेकेदार संदीप को आवंटित था। बीते दिन गुरुवार की रात संदीप और फूलमती एक कमरे में बैठकर पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद फूलमती कमरे से बाहर निकल गई और बाहर से कुंडी लगाकर संदीप को अंदर बंद कर दिया। इसके बाद वह दूसरे कमरे में चली गई। शराब के नशे में संदीप वहीं सो गया। जहां आज दिन शुक्रवार की सुबह जब संदीप की नींद खुली तो उसने खुद को कमरे में बंद पाया। उसने पड़ोसियों को फोन कर मदद मांगी। किसी तरह दरवाजा खुलवाकर जब वह दूसरे कमरे में गया तो फूलमती का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घबराकर उसने तत्काल नवानगर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ की। इधर मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि फूलमती की हत्या की गई है और मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है। परिजनों ने क्वार्टर आवंटन और बाहरी लोगों के आवागमन पर भी सवाल उठाए। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस घटना ने एनसीएल कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

नाम सुधार सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे समस्त दस्तावेज में मेरा नाम सुरेश कुमार त्रिपाठी दर्ज था किंतु वर्तमान में आधार कार्ड क्रमांक (418342095680) एवं पैन कार्ड (ARCPT7435P) इत्यादि में मेरा नाम सुरेश कुमार तिवारी दर्ज है, इसे ही सत्य माना वह पढ़ा जाए। अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो एक सप्ताह के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है।

सुरेश कुमार तिवारी (मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक क्रमांक 379) पिता- स्वर्गीय रमाकांत तिवारी पता- वार्ड क्रमांक 13 सोनौरी रोड, बघेड़ी चाकघाट, जिला- रीवा (मध्य प्रदेश)486226 मोबाइल 8827934595

Name correction notice

1. I/Army No 14557299P Rank NK Name Bhupendra singh Resident of vill. Didaundh post mauhar the. Raghurajnagar dist.Satna (mp) Do Hereby solemnly affirm and declare as under:-
(a) That I want to change name of my dependent From Kumari suchi singh to suchita singh
(b) I am enclosing copy of adhaar card and PAN card self Mattested as proof.

नाम सुधार सूचना

मै पूजा द्विवेदी पुत्री श्री बालकृष्ण द्विवेदी उम्र 25 साल निवासी नौला थपल्लताहाउस चन्द्रशेखर पुरम शिव मंदिर के पास मुण्पथडम पोस्ट अलुवा एर्नाकुलम केरल पिन नं.683110 की निवासी होकर बहलफ सूचित कर रही हूं कि बचपन में मुझे चार्ली द्विवेदी के नाम पुकारा जाता था किन्तु अब नामकरण के अनुसार मेरा नाम पूजा द्विवेदी हो गया है जो मेरे समस्त शैक्षणिक रिकार्डों व आधार कार्ड में दर्ज है, चार्ली द्विवेदी और पूजा द्विवेदी दोनों नाम एक ही व्यक्ति के यानी मेरे ही हैं अलग-अलग नहीं हैं तथा मुझे दोनों नामों से जाना जाता है. दोनों नामों को एक ही पढ़ा, लिखा व माना जाए, वर्तमान के सभी रिकार्डों में पूजा द्विवेदी को मान्य किया जाए जो सत्य एवं सही है.

पेज एक का शेष

22 विभागों के बजट बिना चर्चा पारित...

उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने बाकी बचे 22 विभागों की अनुदान मांगों को रखना शुरू किया. मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद उन्होंने मप्र विनियोग विधेयक 2026 पेश किया, उसके बाद विनियोग विधेयक को पारित भी कर दिया गया. गिलोटिन के लिए अध्यक्ष की व्यवस्था से लेकर विनियोग विधेयक पारित करने तक की प्रक्रिया में महज 8 मिनट ही लगे. अध्यक्ष तोमर ने अपरान्ह 3.48 बजे गिलोटिन की व्यवस्था दी और 3.56 बजे विनियोग विधेयक पारित कर दिया गया. इस तरह सरकार का बजट सत्र के दौरान होने वाला सबसे बड़ा बिजनेस निपट गया. बाद में तीन अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किए हवाई हमले

रिपोर्टों में काबुल और कंधार में धमाकों और गोलीबारी की खबर दी गई. अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि डूरंड रेखा के साथ की गई जवाबी कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए.करीब 2,500 किलोमीटर लंबी सीमा 'जिसे डूरंड रेखा कहा जाता है' को अफगानिस्तान ने कभी मान्यता नहीं दी है.

अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक घायल, जिला अस्पताल में उपचार जारी

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 27 फरवरी। जिला मुख्यालय बैढ़न के माजन मोड़ के समीप आज दिन शुक्रवार को एक अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल की पहचान गौरव कुमार शुक्ला पिता दिनेश चंद शुक्ला उम्र लगभग 22 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद स्थानीय नागरिकों ने मानवीय पहल करते हुए घायल युवक को जिला अस्पताल सह ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार कर भर्ती किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। चिकित्सकों ने बताया कि युवक की हालत अब स्थिर है तथा उपचार के बाद स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। आसपास लगे सीसीटीव्ही कैमरों की मदद से अज्ञात वाहन की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यालय नगर परिषद बिरसिंहपुर, जिला- सतना (म.प्र.)

e-mail- cmobirsingpur@mpurban.gov.in Phone - 07671-277220

N.I.T क्र. 1255.(E.T.)/न.प./2026 बिरसिंहपुर, दिनांक 27/02/2026

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

नगर परिषद् बिरसिंहपुर मरम्मत हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के लिये दरों की आवश्यकता है, जिसके लिये पंजीकृत ठेकेदारों / सप्लायरों से ई-टेण्डर के माध्यम से आनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_485283 27/02/2026	ट्रेक्टर ट्राली की बाडी का मरम्मत कार्य एवं प्राइमर पेंटिंग कम्पलीट सहित	वित्तीय वर्ष 2025-26 लम्प- सम	2000/- 2000.00	09.03.2026

नोट:-1. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। 2. निविदाकार का जीएसटी. पैन कार्य पंजीयन होना अनिवार्य होगा। 3. प्रस्तुत दरों के अतिरिक्त निर्धारित जी.एस.टी. प्रदाय की जायेगी। 4. शासन द्वारा निर्धारित कटौती कर भुगतान किया जायेगा। 5. BOQ में मांगी गयी दर प्रति किलोग्राम के आधार पर ही अपनी दरें प्रस्तुत करें। अन्यथा आपको अपात्र माना जायेगा।

(सुरेश कुमार सोनवानी)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बिरसिंहपुर,जिला सतना (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना एवं पदेन उप सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग सतना म.प्र.

क्र 236 / भू-अर्जन / 2026 सतना, दिनांक 20/02/2026

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अत: " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 संशोधन (क्र. - एक, सन् 2013) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला - सतना (ख) तहसील - नागौद (ग) नगर / ग्राम -कल्पा (घ) क्षेत्रफल - 0.1410 हे0

क्र.	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवा
1	2	3	4	5
1	उदयभान पिता गोरेलाल ब्रा. पता नागौद सतना भूमिस्वामी	491/2	0.2180	0.0180
2.	भागवती पत्नी रामशरण ब्रा. पता कल्पा नागौद सतना भूमिस्वामी	493/1	1.5780	0.1150
3	राजेन्द्रपाल पिता लोचन सिंह नागौद सतना भूमिस्वामी	493/2	0.1220	0.0080
	योग			0.1410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक - 1 नागौद, जिला- सतना म.प्र. द्वारा नागौद सतना शाखा नहर मुख्य नहर के निर्माण हेतु। (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला- सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. सतीश कुमार एस.)
कलेक्टर
जिला सतना (म0प्र0)
एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन
राजस्व विभाग

G-26558/25

आओ बनायें अपना मध्यप्रदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी जिला सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक / 180 /भू-संसा./जन./2026 सिंगरौली, दिनांक. 26/02/2026

निविदा सूचना

मध्यप्रदेश शासन, गृह (सामान्य) विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक HOM/32/0014/2025-Gen-02 (HOM) भोपाल दिनांक 27.01.2026 के अनुपालन में जनगणना 2027 के समस्त कार्यों के समुचित सम्पादन हेतु निम्न विवरण अनुसार तकनीकी सहायक एवं मल्टी टास्किंग स्टॉफ की सेवायें आउट सोर्स से प्रदाय करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा पजीकृत संस्थाओं से सीलबन्द निविदाएँ दिनाँक 11.03.2026 को अपरान्ह समय 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है:-

क्रमांक	पद का नाम	पद सख्या			पारिश्रमिक अधिकतम प्रतिमाह
		जिला स्तर	चार्ज	योग	
1	तकनीकी सहायक	02	11	13	25000
2	मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ	01	0	01	18000

प्राप्त निविदायें दिनांक 11.03.2026 को सायं 04.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा के आवेदन प्रपत्र एवं शर्ते आदि दिनांक 11.03.2026 तक प्रतिदिन 11.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक कार्यालय से रूपये 2000/- (रू. दो हजार मात्र) नगद जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। नियत समय सीमा के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। पदों की सीमा को घटाने एव बढ़ाने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी, जिला सिंगरौली को होगा। निविदा की शर्ते यथावत होंगी !

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित।

संयुक्त कलक्टर
एवं जिला जनगणना अधिकारी
(जिला सिगरौली (म.प्र.)